





FORMAT FOR PARTICULARS OF STAFF TO BE SUBMITTED TO THE NRC, NCTE, JAIPUR
PARTICULARS OF STAFF




Session 2011-2012

Name and address of the Institution: Saraswati Mahila M/V Vijay Nagar Kanpur Course: B.Ed.

Sl. No.	Name with Date of Birth Age	Attested photograph of the appointed staff	Whether SC/ST/OBC/other Category	Designation	B.Ed. Yes/No	M.Ed. Yes/No	M.A (Education) Yes/No	Master's Degree in school subject Yes/No	Subject of Teaching	Ph. D. (Education/ Specify the subject) Yes/No	Passed UGC NET or equivalent Yes/No	Teaching Experience in Years	Teaching Experience in Recognized School/B.Ed. College (Enclose experience certificate from the Director).	Date of initial appointment and NCTE Regulation under which he or she was appointed	Joining Date
					If yes, %age of Marks	If yes, %age of Marks	If yes, %age of Marks	If yes, %age of Marks & specify the subject							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)



I. DETAILS OF TEACHING STAFF															
I(A) PRINCIPAL/HOD															
1	DR. SADHANA MISHRA 02-01-65 47			H.O.D.	YES 60%	YES 60%	NO	2002 51%	BIOLOGICAL SCIENCE	YES 1994	NO	12 YEARS	16-09-07 12 YEARS	13-12-06	09-10-2007
II LECTURES/TEACHERS (AS PER NCTE NORMS)															
1.	SEEMA RANI 08-02-73 39			LECT.	YES 60%	YES 60%	NO	MATH 50%	MATH	NO	NO	6 YEARS	6 YEARS	10-07-2011	15-07-2011
2.	DR. KIRAN SHARMA 15-04-78 34			LECT.	YES 70%	NO	YES 64%	HISTORY	HINDI	YES 2006	NO	4 YEAR	2 YEAR	02-07-2007	05-07-2007


 प्रिंसिपल/सचिव
 सरस्वती महिला महाविद्यालय
 बिजय नगर, कानपुर

3.	ANJANA SONKER 05-11-02 23		LECT.	YES 61%	YES 61%	NO	HISTORY 63%	SOCIAL SCIENCE	NO	YES 2006	NO	2 YEARS	08-07-2007	10-01-2007
4.	SAVITA SINGH 02-07-78 34		LECT.	YES 70%	YES 65%	NO	CHEMISTRY 58%	PHYSICAL SCIENCE	NO	NO	4 YEARS	1 YEAR	24-09-2008	26-02-2010
5.	PRIYANKA PANDEY 26-11-86 26		LECT.	YES 60%	NO	NO	ZOOLOGY 62%	BIOLOGICAL SCIENCE	NO	NO	2 YEAR	1 YEAR	24-09-2008	26-02-2010

Cont. P/2

Page -2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.	APARNA NIGAM 29-09-80 32		LECT.	YES 61%	NO	NO	HOME SCIENCE 79%	HOME SCIENCE	NO	NO	NO	1 YEAR	24-09-2011	08-11-2011	
7.	RANJEETA SRIVASTAVA 09-11-77 35		LECT.	YES 59.5%	NO	NO	ENGLISH 55%	ENGLISH	NO	NO	NO	1 YEAR	24-09-2011	08-11-2011	

प्रमुख/सचिव
2. चने महिला महाविद्यालय
विजय नगर, कानपुर

III PART TIME TEACHING STAFF (AS PER NCTE NORMS)												
1.												
2.												
3.												

The above appointment have been made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/the affiliating University/Affiliating Body.

Name & Signature of the
 Authorized Representative of the Institution
 Date _____

[Signature]
 प्रबन्धक/सचिव
 र. मन्दी महिला महाविद्यालय
 विजय नगर, कानपुर

Name & Counter Signature with Seal of the
 Registrar/Competent Authority of the Affiliating Body*
 Registrar
 C.S.J.M. University, Kanpur.

[Signature]
 Registrar
 C.S.J.M. University, Kanpur.

- Note: The institution shall submit the above list as per the provisions of the NCTE Regulations, 2009 indicating qualification, percentage of marks, teaching experience etc. alongwith attested copy of professional qualification & experience certificate and attested photographs of staff duly countersigned by the competent authority of the affiliating body or endorsement of the same by submitting a written approval of the competent authority of the affiliating body as per the above format.

CERTIFICATE FROM THE MANAGEMENT

- (i) All appointments are on full-time and regular basis except those specified as part-time as per the NCTE norms. The academic staff of the institution (including part-time staff) is/shall be paid saary in such scale of pay as prescribed by the UGC/University/affiliating body from time to time through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the propose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure
- (ii) The management of the insitution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc for its employees. The institution shall follow all the norms of the NCTE as amended from time to time.



Name & Signature of the
प्रधान के/सचिव of the
Authorized Representative of the Institution
कानपुर विश्वविद्यालय
बिजय नगर, कानपुर

Date _____

- It may be noted by the teacher education institution that in case of self finance institutions run by the pvt. Managements under society/trust, the above details shall be signed by the Secretary/President/Chairman of the concerned Management. In case of the Govt./University/aided institution the same shall be signed by the Registrar/Director/Principal/HOD of the intuition.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.N0.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./3064/2011

दिनांक : 08.11.2011

प्रापक,

प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति)
सरस्वती महिला महाविद्यालय,
विजयनगर,
कानपुर ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.09.2011 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2/(85)/9 दिनांक 09 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या- 2104/सत्तर-1-08 दिनांक 12.08.2008 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	पिता का नाम	विषय	
1	सीमा रानी	स्व0 भगवान दास	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
2	अर्पणा निगम	श्री एस0के0 निगम	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन
3	श्रीमती रंजीता श्रीवास्तव	श्री आर0एन0 सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	अनुमोदन

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ प्रवक्तागण होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(संजय कुमार)
उप कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.NO.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./ 328 /2010
प्रापक,

दिनांक : 26/02/2010

प्रबन्धक(प्रबन्ध समिति)

सरस्वती महिला महाविद्यालय,
विजय नगर,
कानपुर ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.09.2009 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या- 2104/सत्तर-1-08 दिनांक 12.08.2008के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	
1.	सविता सिंह	प्रवक्ता बी0एड0(साइंस)	अनुमोदन
2.	अनीता बनर्जी	प्रवक्ता बी0एड0(अंग्रेजी)	अनुमोदन
3.	प्रियंका पाण्डेय	प्रवक्ता बी0एड0(बायो-साइंस)	अनुमोदन

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्तागण होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी0एड0 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.N0.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब/2328/2007

दिनांक 09/10/07

प्रापक,

प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति,
सरस्वती महिला महाविद्यालय,
विजय नगर,
कानपुर नगर ।

विषय: स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित पत्र दिनांक 03.10.2007 तथा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2509/सल्लर-1/2005-10(15)/79 दिनांक 13.12.2006 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित विभागाध्यक्ष के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	नियमित/संविदा
1	डा0 साधना मिश्रा	विभागाध्यक्ष बी0एड0	अनुमोदन

डा0 साधना मिश्रा का पूर्व प्रदत्त अनुमोदन राम प्रसाद यादव महाविद्यालय, सिंघाव, फतेहपुर से निरस्त किया जाता है ।

1. पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह, संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जायेगा ।

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी0एड0 विभागाध्यक्ष के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अयोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(महेश चन्द्र)

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



Ref.N0.सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2097 /2007

दिनांक : 18/9/07

प्रापक,

प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति,
सरस्वती महिला महाविद्यालय,
विजय नगर,
कानपुर नगर ।

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 31.08.2007 तथा चयन समिति की संस्तुति के अचधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2509/सत्तर-1/2005-10(15)/79 दिनांक 13.12.2006 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ता के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है ।

क्रम	नाम	विषय	नियमित/संविदा
1.	कु0 अंजना सोनकर	प्रवक्ता बी0एड0 (सोशल साइंस)	अस्थायी अनुमोदन

उक्त प्रवक्ता जो यू0जी0सी0 नेट उत्तीर्ण है, को अस्थायी अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नेट प्रमाण पत्र के सत्यापन सही न पाये जाने पर एवं किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इनकी नियुक्ति का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा । कु0 अंजना सोनकर का जनता शिक्षा संस्थान महाविद्यालय, घाटमपुर, कानपुर से पूर्व प्रदत्त अनुमोदन निरस्त किया जाता है ।

1. नियमितरूप से नियुक्त प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (प्रवक्ता वेतनमान) रु.8000-275-13500/-एवं अन्य सुविधायें देय होगी ।
3. पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह, संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जायेगा ।

यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्ता होंगे ।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बी0एड0 प्रवक्ता के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(महेश चन्द्र)

कुलसचिव

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref NO. सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./1767/2007

दिनांक : 29/8/07

प्रापक,

प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति,
सरस्वती महिला महाविद्यालय,
विजय नगर,
कानपुर नगर।

विषय- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.07.2007 तथा चयन समिति की संसृति के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में शासनादेश संख्या-2509/संलग्न 1/2005-10(15)/79 दिनांक 13.12.2006 के प्राविधानानुसार माननीय कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं के नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में चयन का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है।

क्रम	नाम	विषय	नियमित/संविदा
1	डा0 किरन शर्मा	प्रवक्ता वी0एड0 (हिन्दी)	अनुमोदन(नियमित)
2	पुनीता पार्लवाल	प्रवक्ता वी0एड0 (बायो साइंस)	संविदा पर दिनांक 30.6.2009 तक अनुमोदन
3	समा रानी	प्रवक्ता वी0एड0 (गणित)	संविदा पर दिनांक 30.6.2009 तक अनुमोदन
4	अमला द्विवेदी	प्रवक्ता वी0एड0 (संस्कृत)	संविदा पर दिनांक 30.6.2009 तक अनुमोदन

डा0 किरन शर्मा महाप्राण निराला महाविद्यालय, ओसिया, वीघापुर, उन्नाव से पूर्व प्रदत्त अनुमोदन निरस्त किया जाता है। अंजना सोनकर का अनुमोदन जनता शिक्षा संस्थान महाविद्यालय, घाटमपुर कानपुर में है इसलिए इनके चयन का अनुमोदन प्रदान करना सम्भव नहीं है।

- नियमितरूप से नियुक्त प्रवक्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान (प्रवक्ता वेतनमान) रु.8000-275-13500/- एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।
- क्रम संख्या-2,3,4, जो प्रवक्ता पद की अर्हता पूर्ण न होने कारण अर्हता में शिथिलता देने हुए अनुमोदन किया गया है उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान रु.8000-275-13500/- एवं सुविधायें देय होंगी, पर दिनांक 30 जून 2009 तक संविदा पर नियुक्त किया जायेगा तथा उन्हें दिनांक 30 जून 2009 तक अपनी अर्हता अवश्य पूर्ण कर लेनी होगी। यदि उक्त तिथि तक अर्हता पूर्ण नहीं करते है तो उनका यह प्रदत्त अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- पेशन, उपदान, भविष्यनिधि आदि से सम्बन्धित सांविधिक दायित्वों का निवाह, संस्था के प्रबन्धकों द्वारा किया जायेगा।
यदि सम्बन्धित अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी गयी तो इसके जिम्मेदार प्रबन्धक और सम्बन्धित प्रवक्तागण होंगे।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वी0एड0 प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां, वेतन, अनुबन्ध पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।